पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

पंकज कुमार

बनाम

आयकर आयुक्त एवं एक अन्य

2019 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 20926

[के साथ, 2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 1774; 2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 2565; 2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 2662; 2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 2766; 2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 3005; 2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 3019; 2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 3078; 2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 3666; 2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 3720; 2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 3790; 2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 3797; 2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 4796; 2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 4977; 2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 5027; 2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 5065; 2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 5275; 2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 5295; 2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 6041; 2021 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 15459 एवं 2021 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 15554]

12 मई 2023

(माननीय मुख्य न्यायाधीश और माननीय न्यायमूर्ति श्री मधुरेश प्रसाद)

विचार के लिए मुद्दा

क्या वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा दिनांक 01.04.2018 से सम्मिलित अधिनियम की धारा 45 की उप-धारा (5 क) पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी?

हेडनोट्स

आयकर अधिनियम, 1961-धारा 148-वित्त अधिनियम, 2017-धारा 45(5)-रिट याचिकाओं के एक समूह ने अधिनियम, 1961 की धारा 148 के तहत जारी नोटिसों को चुनौती दी-वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा आयकर अधिनियम में लाए गए संशोधन की पूर्वव्यापीता का दावा किया गया, जिसने उप-धारा (5) और उसके स्पष्टीकरण के बाद धारा 45 के तहत उप-धारा (क) को सम्मिलित किया; जिसे विशेष रूप से 1 अप्रैल, 2018 से सम्मिलित करने के लिए कहा गया था, जिससे संशोधन को संचालन में भावी बनाया गया।

निर्णय: पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधन करने की विधायिका की शक्ति निर्विवाद है, लेकिन आवश्यकता यह है कि जब तक इसे स्पष्ट भाषा में व्यक्त या निहित न किया जाए, बिना किसी संदेह की गुंजाइश के, तब तक संशोधन केवल भावी होगा - किसी संशोधन को केवल तभी निहित रूप से पूर्वव्यापी माना जा सकता है जब उसका उद्देश्य किसी स्पष्ट विसंगति को दूर करना हो या किसी स्पष्ट त्रुटि को सुधारना हो या किसी बेतुकेपन को मिटाना हो या उसे किसी अन्य कानून या संविधान के अनुरूप लाना हो - 01.04.2018 से प्रभावी किए गए संशोधन को स्पष्ट रूप से उस तिथि से भावी बताया गया है और इसका कोई आशय नहीं निकाला जा सकता है - उन व्यक्तियों या हिंदू अविभाजित परिवारों पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है, जिनके लिए तरीके में कोई बदलाव किया गया था, या पिछले वर्ष जिसमें कुल आय की गणना की जाती है, जो केवल 01.04.2018 के बाद किए गए समझौतों तक प्रभावी था - रिट याचिकाओं को टिप्पणियों के साथ खारिज कर दिया गया।

(कंडिका 22, 25)

न्याय दृष्टान्त

गोदरेज एंड बॉयस एमएफजी कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर उपायुक्त, **(2010) 43 डीटीआर 177(बॉम्बे)**; ई.डी. सैसन एंड कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, **(1955) 1 एससीआर 313**; जिले सिंह बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, **(2004) 8 एससीसी 1**; श्याम सुंदर एवं

अन्य बनाम राम कुमार एवं अन्य, **(2001) 8 एससीसी 24**; आयकर आयुक्त बनाम बलबीर सिंह मैनी; **(2018) 12 एससीसी 354—पर भरोसा किया गया।**

एलाइड मोटर्स **(प्रा.)** लिमिटेड आदि बनाम आयकर आयुक्त**, (1997) 224 आईटीआर 0677;** आयकर आयुक्त बनाम मेसर्स अलोम एक्सट्रूशंस लिमिटेड**, 2009 319 आईटीआर 306 (एससी);** आयकर आयुक्त बनाम एस्सार टेलीहोल्डिंग्स लिमिटेड**, (2018) 401 आईटीआर 445(एससी)—संदर्भित किया गया।**

अधिनियमों की सूची

आयकर अधिनियम, 1961; वित्त अधिनियम, 2017; संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882।

मुख्य शब्दों की सूची

मूल्यांकन अधिकारी; अपीलीय प्राधिकारी; पूर्वव्यापी; भावी; नोटिस।

प्रकरण से उत्पन्न

मूल्यांकन आदेश के अनुसरण में जारी मांग नोटिस से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

(2019 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 20926 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री डी.वी. पाथी, अधिवक्ता; श्रीमती मंजू झा, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए: डॉ. के.एन. सिंह, ए.एस.जी.; श्रीमती अर्चना सिन्हा उर्फ़ अर्चना शाही, अधिवक्ता; श्री ऋषि राज सिन्हा, अधिवक्ता

(2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 1774 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री डी.वी. पाथी, अधिवक्ता; श्रीमती मंजू झा, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए: डॉ. के.एन. सिंह, ए.एस.जी.; श्रीमती अर्चना सिन्हा उर्फ़ अर्चना शाही, अधिवक्ता; श्री ऋषि राज सिन्हा, अधिवक्ता; श्री राजेश कुमार वर्मा, अधिवक्ता; श्री श्याम बिहारी सिंह, अधिवक्ता

(2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 2565 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री डी.वी. पाथी, अधिवक्ता; श्रीमती मंजू झा, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए: डॉ. के.एन. सिंह, ए.एस.जी.; श्रीमती अर्चना सिन्हा उर्फ़ अर्चना शाही, अधिवक्ता; श्री ऋषि राज सिन्हा, अधिवक्ता; श्री राजेश कुमार वर्मा, अधिवक्ता; श्री श्याम बिहारी सिंह, अधिवक्ता

(2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 2662 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री डी.वी. पाथी, अधिवक्ता; श्रीमती मंजू झा, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए: डॉ. के.एन. सिंह, ए.एस.जी.; श्रीमती अर्चना सिन्हा उर्फ़ अर्चना शाही, अधिवक्ता; श्री ऋषि राज सिन्हा, अधिवक्ता; श्री राजेश कुमार वर्मा, अधिवक्ता; श्री श्याम बिहारी सिंह, अधिवक्ता

(2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 2766 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री चिरंजिवा रंजन, अधिवक्ता,

उत्तरदाता/ओं के लिए: डॉ. के.एन. सिंह, ए.एस.जी.; श्रीमती अर्चना सिन्हा उर्फ़ अर्चना शाही, अधिवक्ता; श्री ऋषि राज सिन्हा, अधिवक्ता; श्री अंशुमान सिंह, अधिवक्ता

(2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 3005 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री डी.वी. पाथी, अधिवक्ता; श्रीमती मंजू झा, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए: डॉ. के.एन. सिंह, ए.एस.जी.; श्रीमती अर्चना सिन्हा उर्फ़ अर्चना शाही, अधिवक्ता; श्री राजेश कुमार वर्मा, अधिवक्ता; श्री श्याम बिहारी सिंह, अधिवक्ता

(2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 3019 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री चिरंजिवा रंजन, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए: श्री ऋषि राज सिन्हा, अधिवक्ता; श्री अंशुमान सिंह, अधिवक्ता; श्रीमती अर्चना सिन्हा उर्फ़ अर्चना शाही, अधिवक्ता

(2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 3078 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री डी.वी. पाथी, अधिवक्ता; श्रीमती मंजू झा, अधिवक्ता; श्री चैतन्य कृष्ण, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए: डॉ. के.एन. सिंह, ए.एस.जी; श्रीमती अर्चना सिन्हा उर्फ़ अर्चना शाही, अधिवक्ता; श्री ऋषि राज सिन्हा, अधिवक्ता; श्री अंशुमान सिंह, अधिवक्ता

(2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 3666 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री चिरंजिवा रंजन, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए: डॉ. के.एन. सिंह, ए.एस.जी; श्री राजेश कुमार वर्मा, अधिवक्ता; श्री श्याम बिहारी सिंह, अधिवक्ता; श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता

(2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 3720 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री बिमलेश कुमार झा, अधिवक्ता; श्री संजय सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए: डॉ. के.एन. सिंह, ए.एस.जी; श्रीमती अर्चना सिन्हा उर्फ़ अर्चना शाही, अधिवक्ता; श्री ऋषि राज सिन्हा, अधिवक्ता; श्री राजेश कुमार वर्मा, अधिवक्ता; श्री श्याम बिहारी सिंह, अधिवक्ता

(2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 3790 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री डी.वी. पाथी, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए: डॉ. के.एन. सिंह, ए.एस.जी; श्रीमती अर्चना सिन्हा उर्फ़ अर्चना शाही, अधिवक्ता; श्री ऋषि राज सिन्हा, अधिवक्ता; श्री राजेश कुमार वर्मा, अधिवक्ता; श्री श्याम बिहारी सिंह, अधिवक्ता

(2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 3797 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री बिमलेश कुमार झा, अधिवक्ता; श्री संजय सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए: डॉ. के.एन. सिंह, ए.एस.जी; श्रीमती अर्चना सिन्हा उर्फ़ अर्चना शाही, अधिवक्ता; श्री ऋषि राज सिन्हा, अधिवक्ता; श्री राजेश कुमार वर्मा, अधिवक्ता

(2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 4796 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री डी.वी. पाथी, अधिवक्ता; श्री सदाशिव तिवारी, अधिवक्ता; श्री चैतन्य कृष्ण, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए: डॉ. के.एन. सिंह, ए.एस.जी; श्रीमती अर्चना सिन्हा उर्फ़ अर्चना शाही, अधिवक्ता; श्री ऋषि राज सिन्हा, अधिवक्ता; श्री श्याम बिहारी सिंह, अधिवक्ता

(2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 4977 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री बिमलेश कुमार झा, अधिवक्ता; श्री संजय सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए: डॉ. के.एन. सिंह, ए.एस.जी; श्रीमती अर्चना सिन्हा उर्फ़ अर्चना शाही, अधिवक्ता; श्री ऋषि राज सिन्हा, अधिवक्ता

(2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 5027 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री बिमलेश कुमार झा, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए: डॉ. के.एन. सिंह, ए.एस.जी; श्रीमती अर्चना सिन्हा उर्फ़ अर्चना शाही, अधिवक्ता; श्री ऋषि राज सिन्हा, अधिवक्ता

(2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 5065 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री बिमलेश कुमार झा, अधिवक्ता; श्री संजय सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए: डॉ. के.एन. सिंह, ए.एस.जी; श्रीमती अर्चना सिन्हा उर्फ़ अर्चना शाही, अधिवक्ता; श्री ऋषि राज सिन्हा, अधिवक्ता; श्री राजेश कुमार वर्मा, अधिवक्ता

(2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 5275 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री डी.वी. पाथी, अधिवक्ता; श्रीमती मंजू झा, अधिवक्ता; श्री चैतन्य कृष्ण, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए: डॉ. के.एन. सिंह, ए.एस.जी; श्रीमती अर्चना सिन्हा उर्फ़ अर्चना शाही, अधिवक्ता; श्री ऋषि राज सिन्हा, अधिवक्ता; श्री अंशुमान सिंह, अधिवक्ता

(2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 5295 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री डी.वी. पाथी, अधिवक्ता; श्रीमती मंजू झा, अधिवक्ता; श्री चैतन्य कृष्ण, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए: डॉ. के.एन. सिंह, ए.एस.जी; श्रीमती अर्चना सिन्हा उर्फ़ अर्चना शाही, अधिवक्ता; श्री ऋषि राज सिन्हा, अधिवक्ता

(2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 6041 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री डी.वी. पाथी, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए: डॉ. के.एन. सिंह, ए.एस.जी; श्रीमती अर्चना सिन्हा उर्फ़ अर्चना शाही, अधिवक्ता; श्री ऋषि राज सिन्हा, अधिवक्ता

(2021 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 15459 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री चिरंजिवा रंजन, अधिवक्ता; श्री अमर कुमार सिंह, अधिवक्ता; श्री संजय सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए: डॉ. के.एन. सिंह, ए.एस.जी; श्री कुमार प्रिया रंजन, अधिवक्ता; श्रीमती अर्चना सिन्हा उर्फ़ अर्चना शाही, अधिवक्ता; श्री ऋषि राज सिन्हा, अधिवक्ता

(2021 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 15554 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री चिरंजिवा रंजन, अधिवक्ता; श्री अमर कुमार सिंह, अधिवक्ता; श्री संजय सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए: डॉ. के.एन. सिंह, ए.एस.जी; श्रीमती अर्चना सिन्हा उर्फ़ अर्चना शाही, अधिवक्ता; श्री ऋषि राज सिन्हा, अधिवक्ता; श्री श्याम बिहारी सिंह, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2019 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 20926

==

पंकज कुमार, पिता- श्री सुरेश प्रसाद सिन्हा, 87/78/185, हुमद गली, पटना साहेब रेलवे स्टेशन, बेगमपुर चौक, डाकघर और थाना- पटना सिटी, जिला- पटना।

............याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. आयकर आयुक्त जिसका कार्यालय केंद्रीय राजस्व भवन, बीर चंद पटेल पथ, पटना में है।
2. आयकर कार्यालय, वार्ड 6(2), पटना।

...........उत्तरदाता/ओं

==

के साथ

2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 1774

==

मोहमिद अब्दुल हई, पिता- डॉ. ए.ए. हई, निवासी- अब्दुल हई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के पास, एग्जिबिशन रोड, डाकघर- जी.पी.ओ., थाना- कोतवाली, गांधी मैदान, जिला- पटना।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के माध्यम से भारत संघ।
2. आयकर आयुक्त, जिसका कार्यालय केंद्रीय राजस्व भवन, बीर चंद पटेल पथ, पटना मे है।
3. आयकर अधिकारी, वार्ड 6(1), पटना।

...........उत्तरदाता/ओं

==

के साथ

2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 2565

==

हशमत हई उर्फ़ हसमत हई, पति- डॉ. ए.ए. हई, निवासी- अब्दुल हई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, एग्जिबिशन रोड, डाकघर- जी.पी.ओ., थाना- कोतवाली, गांधी मैदान, जिला-पटना।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के माध्यम से भारत संघ।
2. आयकर आयुक्त, जिसका कार्यालय केंद्रीय राजस्व भवन, बीर चंद पटेल पथ, पटना मे है।
3. आयकर अधिकारी, वार्ड 6(1), पटना।

.... उत्तरदाता/ओं

===

के साथ

2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 2662

===

सत्यम कुमार सिंह, पिता- सुरेंद्र प्रसाद सिंह, मकान सं.- 282, सेक्टर- 37, फरीदाबाद, हरियाणा, वर्तमान में निवासी, गाँव- मकसूदपुर, डाकघर और थाना- शाहजानपुर, जिला-पटना।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के माध्यम से भारत संघ।
2. आयकर आयुक्त, जिसका कार्यालय केंद्रीय राजस्व भवन, बीर चंद पटेल पथ, पटना मे है।
3. आयकर अधिकारी, वार्ड 6(1), पटना।

.... उत्तरदाता/ओं

===

के साथ

2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 2766

===

केशव रंजन, पिता- स्वर्गीय राम चंद्र सिंह, निवासी, मोहल्ला- रुकुनपुरा, डाकघर- बी.वी. महाविद्यालय और थाना- रूपसपुर, जिला-पटना-800014

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. वित्त सचिव, नॉर्थ ब्लॉक, वित्त विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली-110001 के माध्यम से भारत संघ।
2. प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, (बिहार और झारखंड) राजस्व भवन, वीरचंद पटेल मार्ग, बेली रोड, पटना-80001
3. प्रधान आयकर आयुक्त-II, पटना, राजस्व भवन, वीरचंद पटेल मार्ग, बेली रोड, पटना-80001
4. आयकर अधिकारी, वार्ड-6(2), पटना, लोक नायक जय प्रकाश भवन, न्यू डाकबंगला

रोड, पटना-800001

...........उत्तरदाता/ओं

==

के साथ

2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 3005

==

अपने गठित अधिवक्ता डॉ. अहमद अब्दुल हई (लगभग 77 वर्ष, पुरुष) पिता- स्वर्गीय डॉ. एम.ए. हई, निवासी- अब्दुल हई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, एग्जिबिशन रोड, डाकघर- जी. पी. ओ., थाना- कोतवाली, गांधी मैदान, जिला-पटना, के माध्यम से जरीन अब्दुल हई उर्फ़ कुलसुम अब्दुल हई, पिता- डॉ. अहमद अब्दुल हई, निवासी- अब्दुल हई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, एग्जिबिशन रोड, डाकघर- जी.पी.ओ., थाना- कोतवाली, गांधी मैदान, जिला-पटना।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के माध्यम से भारत संघ।
2. आयकर आयुक्त, जिसका कार्यालय केंद्रीय राजस्व भवन, बीर चंद पटेल पथ, पटना मे है।
3. आयकर अधिकारी, वार्ड 6(1), पटना।

.... उत्तरदाता/ओं

==

के साथ

2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 3019

==

राज कुमार, पिता- स्वर्गीय राम चंद्र सिंह के पुत्र, निवासी, मोहल्ला- रुकुनपुरा, डाकघर- बी.वी. महाविद्यालय और थाना- रूपसपुर, जिला- पटना- 800014

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. वित्त सचिव, नॉर्थ ब्लॉक, वित्त विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली-110001 के माध्यम से भारत संघ।
2. प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, (बिहार और झारखंड)।
3. प्रधान आयकर आयुक्त-II, पटना।
4. आयकर अधिकारी, वार्ड-6 (2), पटना, 2 और 3 का पता राजस्व भवन, वीरचंद पटेल मार्ग, बेली रोड, पटना-800001 और 4 का पता लोक नायक जय प्रकाश भवन, न्यू डाकबंगला, रोड, पटना-800001

...........उत्तरदाता/ओ

==

के साथ

2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 3078

==

बाबू राय, पिता- डॉ. हित नारायण राय, प्राण कुटीर, खेतान लेन, पश्चिम बोरिंग कैनाल रोड, बुद्धा कॉलोनी, डाकघर- जी.पी.ओ, थाना- बुद्धा कॉलोनी, जिला- पटना।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के माध्यम से भारत संघ।
2. आयकर आयुक्त-II, जिसका कार्यालय केंद्रीय राजस्व भवन, बीर चंद पटेल पथ, पटना मे है।
3. आयकर अधिकारी, वार्ड 6(5), पटना।

.... उत्तरदाता/ओं

==

के साथ

2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 3666

==

देव प्रसाद सिंह, पिता- स्वर्गीय राम चंद्र सिंह, निवासी, मोहल्ला- रुकुनपुरा, डाकघर- बी.वी. महाविद्यालय और थाना- रूपसपुर, जिला- 800014

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. वित्त सचिव, कमरा संख्या 6ए, तीसरी मंजिल, वित्त मंत्री विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली-110001 के माध्यम से भारत संघ।
2. प्रधान आयकर आयुक्त, II, पटना राजस्व भवन, वीरचंद पटेल मार्ग, बेली रोड, पटना- 800001
3. आयकर अधिकारी, वार्ड-6(2), पटना लोक नायक जय प्रकाश भवन, न्यू डाकबंगला, रोड, पटना- 800001

...........उत्तरदाता/ओ

==

के साथ

2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 3720

==

अरुण कुमार सिंह, पिता- स्वर्गीय राम पुकार सिंह, निवासी, गाँव- लखनी बीघा, थाना-

खगौल, डाकघर- दानापुर, पटना।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. वित्त सचिव, नई दिल्ली के माध्यम से भारत संघ।
2. वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
3. प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पटना, बिहार और झारखंड।
4. प्रधान आयकर आयुक्त ii, पटना।
5. संयुक्त आयकर आयुक्त, रेंज-6, पटना, बिहार।
6. सहायक आयकर आयुक्त, सर्कल-6, पटना।
7. आयकर अधिकारी, वार्ड 6(4), पटना, बिहार।
8. निदेशक, आस्था होम्स प्राइवेट लिमिटेड, डी.एन. मार्केट, जगदेव पथ मोरे के पास, बेली रोड, पटना-14

...........उत्तरदाता/ओं

==

के साथ

2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 3790

==

विश्वनाथ सिंह, पिता- रामगति सिंह, 717 गांधी नगर, राजनारायण द्वार, दानापुर, दीघा दियारा, डाकघर- दीघा, थाना- दानापुर, जिला-पटना।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के माध्यम से भारत संघ।
2. आयकर आयुक्त, जिसका कार्यालय केंद्रीय राजस्व भवन, बीर चंद पटेल पथ, पटना मे है।
3. आयकर अधिकारी, वार्ड 6(1), पटना।

.... उत्तरदाता/ओं

==

के साथ

2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 3797

==

सुनील कुमार उर्फ सुनील कुमार सिंह, पिता- स्वर्गीय राम पुकार सिंह, निवासी, गाँव- लखनी बीघा, थाना- खगौल, डाकघर- दानापुर, पटना, बिहार।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. वित्त सचिव, नई दिल्ली के माध्यम से भारत संघ।
2. वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
3. प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पटना, बिहार और झारखंड।
4. प्रधान आयकर आयुक्त II, पटना।
5. संयुक्त आयकर आयुक्त, रेंज-6, पटना, बिहार।
6. सहायक आयकर आयुक्त, सर्कल-6, पटना।
7. आयकर अधिकारी, वार्ड 6(4), पटना, बिहार।
8. निदेशक, आस्था होम्स प्राइवेट लिमिटेड, डी.एन. मार्केट, जगदेव पथ मोड के पास, बेली रोड, पटना- 14

...........उत्तरदाता/ओं

==

के साथ

2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 4796

==

अजीत कुमार, पिता- विश्वनाथ सिंह, गांधी नगर, गावताल, राजनारायण द्वार, त्रिभुवन पार्क, दानापुर, दीघा दियारा, डाकघर- दीघा, थाना- दानापुर, जिला- पटना।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के माध्यम से भारत संघ।
2. आयकर आयुक्त, जिसका कार्यालय केंद्रीय राजस्व भवन, बीर चंद पटेल पथ, पटना मे है।
3. आयकर अधिकारी, वार्ड 6(4), पटना।

.... उत्तरदाता/ओं

==

के साथ

2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 4977

==

अविनाश कुमार उर्फ विनय सिंह, पिता- स्वर्गीय राम पुकार सिंह, निवासी, गाँव-लखनी बीघा, थाना- खगौल, डाकघर- दानापुर, पटना, बिहार।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. वित्त सचिव, नई दिल्ली के माध्यम से भारत संघ।
2. वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
3. प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पटना, बिहार और झारखंड।

4. प्रधान आयकर आयुक्त ॥, पटना।
5. संयुक्त आयकर आयुक्त, रेंज-6, पटना, बिहार।
6. सहायक आयकर आयुक्त, सर्कल-6, पटना।
7. आयकर अधिकारी, वार्ड 6(4), पटना, बिहार।
8. निदेशक, आस्था होम्स प्राइवेट लिमिटेड, डी.एन. मार्केट, जगदेव पथ मोड के पास, बेली रोड, पटना - 14

...........उत्तरदाता/ओं

==

के साथ

2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 5027

==

चंद्र किशोर वर्मा, पिता- स्वर्गीय राम पुकार सिंह, निवासी, गाँव- लखनी बीघा, थाना- खगौल, डाकघर- दानापुर, पटना, बिहार।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. वित्त सचिव, नई दिल्ली के माध्यम से भारत संघ।
2. वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
3. प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पटना, बिहार और झारखंड।
4. प्रधान आयकर आयुक्त ii, पटना।
5. संयुक्त आयकर आयुक्त, रेंज-6, पटना, बिहार।
6. सहायक आयकर आयुक्त, सर्कल-6, पटना।
7. आयकर अधिकारी, वार्ड 6(4), पटना, बिहार।
8. निदेशक, आस्था होम्स प्राइवेट लिमिटेड, डी.एन. मार्केट, जगदेव पथ मोड के पास, बेली रोड, पटना - 14

...........उत्तरदाता/ओ

==

के साथ

2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 5065

==

बिजेंद्र प्रसाद उर्फ बीरेंद्र कुमार, पिता- स्वर्गीय राम पुकार सिंह, निवासी, गाँव- लखनी बीघा, थाना- खगौल, डाकघर- दानापुर, पटना, बिहार।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. वित्त सचिव, नई दिल्ली के माध्यम से भारत संघ।

2. वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
3. प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पटना, बिहार और झारखंड।
4. प्रधान आयकर आयुक्त ii, पटना।
5. संयुक्त आयकर आयुक्त, रेंज-6, पटना, बिहार।
6. सहायक आयकर आयुक्त, सर्कल-6, पटना।
7. आयकर अधिकारी, वार्ड 6(4), पटना, बिहार।
8. निदेशक, आस्था होम्स प्राइवेट लिमिटेड, डी.एन. मार्केट, जगदेव पथ मोड के पास, बेली रोड, पटना - 14

...........उत्तरदाता/ओं

==

के साथ

2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 5275

==

शारदा कुमारी, पति- रोहित कुमार, आरा गार्डेन, आनंदी अपार्टमेंट के पास, तपेश्वर नगर, बी.वी. महाविद्यालय, डाकघर- पशु चिकित्सा महाविद्यालय, थाना- हवाई अड्डा थाना, जिला- पटना।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के माध्यम से भारत संघ।
2. आयकर आयुक्त, जिसका कार्यालय केंद्रीय राजस्व भवन, बीर चंद पटेल पथ, पटना मे है।
3. आयकर अधिकारी, वार्ड 6(2), पटना।

.... उत्तरदाता/ओं

==

के साथ

2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 5295

==

प्रवीण कुमार, पिता- विश्वनाथ सिंह, 717 गांधी नगर, राजनारायण द्वार, दानापुर, दीघा दियारा, डाकघर- दीघा, थाना- दानापुर, जिला- पटना।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के माध्यम से भारत संघ।
2. आयकर आयुक्त, जिसका कार्यालय केंद्रीय राजस्व भवन, बीर चंद पटेल पथ, पटना मे है।

3. आयकर अधिकारी, वार्ड 6(4), पटना।

...........उत्तरदाता/ओं

==

के साथ

2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 6041

==

मनीष कुमार, पिता- स्वर्गीय राज मुरारी सिंह, निवासी- सोहागी, गौरीचक, सोना गोपालपुर, डाकघर- सोना गोपालपुर, थाना- गौरीचक, जिला- पटना, निवासी- शेखपुरा, दुर्गा स्थान के गली, रुकनपुरा, बी.वी. महाविद्यालय, डाकघर- पशु चिकित्सा महाविद्यालय, थाना- हवाई अड्डा थाना, जिला- पटना।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. आयकर आयुक्त जिसका कार्यालय केंद्रीय राजस्व भवन, बीर चंद पटेल पथ, पटना मे है।
2. आयकर अधिकारी, वार्ड 6(2), पटना।

...........उत्तरदाता/ओं

==

के साथ

2021 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 15459

==

जगत प्रसाद सिंह, पिता- स्वर्गीय राम चंद्र सिंह, निवासी, मोहल्ला- रुकुनपुरा, डाकघर- बी.वी. महाविद्यालय और थाना- रूपसपुर, जिला-पटना-800014

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. वित्त सचिव, कमरा संख्या 6ए, तीसरी मंजिल, वित्त मंत्री विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली-110001 के माध्यम से भारत संघ।
2. प्रधान आयकर आयुक्त-II, पटना, राजस्व भवन, वीरचंद पटेल मार्ग, बेली रोड, पटना-800001
3. आयकर अधिकारी, वार्ड-6(2), पटना, लोक नायक जय प्रकाश भवन, न्यू डाकबंगला रोड, पटना-800001

............उत्तरदाता/ओं

==

के साथ

2021 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 15554

==

नवल किशोर सिंह, पिता- स्वर्गीय राम चंद्र सिंह, निवासी, मोहल्ला- रुकुनपुरा, डाकघर- बी.वी. महाविद्यालय और थाना- रूपसपुर, जिला- पटना- 800014

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. वित्त सचिव, कमरा संख्या 6 ए, तीसरी मंजिल, वित्त मंत्री विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली-110001 के माध्यम से भारत संघ।
2. प्रधान आयकर आयुक्त-II, पटना।
3. आयकर अधिकारी, वार्ड-6 (2), पटना, लोक नायक जय प्रकाश भवन, न्यू डाकबंगला रोड, पटना- 800001

............उत्तरदाता/ओं

==

उपस्थिति :

(2019 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 20926 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री डी.वी. पाथी, अधिवक्ता
श्रीमती मंजू झा, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : डॉ. के.एन. सिंह, ए.एस.जी.
श्रीमती अर्चना सिन्हा उर्फ़ अर्चना शाही, अधिवक्ता
श्री ऋषि राज सिन्हा, अधिवक्ता

(2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 1774 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री डी.वी. पाथी, अधिवक्ता
श्रीमती मंजू झा, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : डॉ. के.एन. सिंह, ए.एस.जी.
श्रीमती अर्चना सिन्हा उर्फ़ अर्चना शाही, अधिवक्ता
श्री ऋषि राज सिन्हा, अधिवक्ता
श्री राजेश कुमार वर्मा, अधिवक्ता
श्री श्याम बिहारी सिंह, अधिवक्ता

(2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 2565 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री डी.वी. पाथी, अधिवक्ता
श्रीमती मंजू झा, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : डॉ. के.एन. सिंह, ए.एस.जी.
श्रीमती अर्चना सिन्हा उर्फ़ अर्चना शाही, अधिवक्ता
श्री ऋषि राज सिन्हा, अधिवक्ता
श्री राजेश कुमार वर्मा, अधिवक्ता

श्री श्याम बिहारी सिंह, अधिवक्ता

(2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 2662 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री डी.वी. पाथी, अधिवक्ता
श्रीमती मंजू झा, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : डॉ. के.एन. सिंह, ए.एस.जी.
श्रीमती अर्चना सिन्हा उर्फ़ अर्चना शाही, अधिवक्ता
श्री ऋषि राज सिन्हा, अधिवक्ता
श्री राजेश कुमार वर्मा, अधिवक्ता
श्री श्याम बिहारी सिंह, अधिवक्ता

(2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 2766 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री चिरंजिवा रंजन, अधिवक्ता,

उत्तरदाता/ओं के लिए : डॉ. के.एन. सिंह, ए.एस.जी.
श्रीमती अर्चना सिन्हा उर्फ़ अर्चना शाही, अधिवक्ता
श्री ऋषि राज सिन्हा, अधिवक्ता
श्री अंशुमान सिंह, अधिवक्ता

(2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 3005 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री डी.वी. पाथी, अधिवक्ता
श्रीमती मंजू झा, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : डॉ. के.एन. सिंह, ए.एस.जी.
श्रीमती अर्चना सिन्हा उर्फ़ अर्चना शाही, अधिवक्ता
श्री राजेश कुमार वर्मा, अधिवक्ता
श्री श्याम बिहारी सिंह, अधिवक्ता

(2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 3019 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री चिरंजिवा रंजन, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री ऋषि राज सिन्हा, अधिवक्ता
श्री अंशुमान सिंह, अधिवक्ता
श्रीमती अर्चना सिन्हा उर्फ़ अर्चना शाही, अधिवक्ता

(2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 3078 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री डी.वी. पाथी, अधिवक्ता
श्रीमती मंजू झा, अधिवक्ता
श्री चैतन्य कृष्ण, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : डॉ. के.एन. सिंह, ए.एस.जी
श्रीमती अर्चना सिन्हा उर्फ़ अर्चना शाही, अधिवक्ता
श्री ऋषि राज सिन्हा, अधिवक्ता

श्री अंशुमान सिंह, अधिवक्ता

(2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 3666 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री चिरंजिवा रंजन, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : डॉ. के.एन. सिंह, ए.एस.जी

श्री राजेश कुमार वर्मा, अधिवक्ता

श्री श्याम बिहारी सिंह, अधिवक्ता

श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता

(2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 3720 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री बिमलेश कुमार झा, अधिवक्ता

श्री संजय सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : डॉ. के.एन. सिंह, ए.एस.जी

श्रीमती अर्चना सिन्हा उर्फ़ अर्चना शाही, अधिवक्ता

श्री ऋषि राज सिन्हा, अधिवक्ता

श्री राजेश कुमार वर्मा, अधिवक्ता

श्री श्याम बिहारी सिंह, अधिवक्ता

(2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 3790 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री डी.वी. पाथी, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : डॉ. के.एन. सिंह, ए.एस.जी

श्रीमती अर्चना सिन्हा उर्फ़ अर्चना शाही, अधिवक्ता

श्री ऋषि राज सिन्हा, अधिवक्ता

श्री राजेश कुमार वर्मा, अधिवक्ता

श्री श्याम बिहारी सिंह, अधिवक्ता

(2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 3797 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री बिमलेश कुमार झा, अधिवक्ता

श्री संजय सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : डॉ. के.एन. सिंह, ए.एस.जी

श्रीमती अर्चना सिन्हा उर्फ़ अर्चना शाही, अधिवक्ता

श्री ऋषि राज सिन्हा, अधिवक्ता

श्री राजेश कुमार वर्मा, अधिवक्ता

(2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 4796 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री डी.वी. पाथी, अधिवक्ता

श्री सदाशिव तिवारी, अधिवक्ता

श्री चैतन्य कृष्ण, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : डॉ. के.एन. सिंह, ए.एस.जी

श्रीमती अर्चना सिन्हा उर्फ़ अर्चना शाही, अधिवक्ता
श्री ऋषि राज सिन्हा, अधिवक्ता
श्री श्याम बिहारी सिंह, अधिवक्ता

(2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 4977 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री बिमलेश कुमार झा, अधिवक्ता
श्री संजय सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : डॉ. के.एन. सिंह, ए.एस.जी
श्रीमती अर्चना सिन्हा उर्फ़ अर्चना शाही, अधिवक्ता
श्री ऋषि राज सिन्हा, अधिवक्ता

(2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 5027 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री बिमलेश कुमार झा, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : डॉ. के.एन. सिंह, ए.एस.जी
श्रीमती अर्चना सिन्हा उर्फ़ अर्चना शाही, अधिवक्ता
श्री ऋषि राज सिन्हा, अधिवक्ता

(2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 5065 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री बिमलेश कुमार झा, अधिवक्ता
श्री संजय सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : डॉ. के.एन. सिंह, ए.एस.जी
श्रीमती अर्चना सिन्हा उर्फ़ अर्चना शाही, अधिवक्ता
श्री ऋषि राज सिन्हा, अधिवक्ता
श्री राजेश कुमार वर्मा, अधिवक्ता

(2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 5275 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री डी.वी. पाथी, अधिवक्ता
श्रीमती मंजू झा, अधिवक्ता
श्री चैतन्य कृष्ण, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : डॉ. के.एन. सिंह, ए.एस.जी
श्रीमती अर्चना सिन्हा उर्फ़ अर्चना शाही, अधिवक्ता
श्री ऋषि राज सिन्हा, अधिवक्ता
श्री अंशुमान सिंह, अधिवक्ता

(2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 5295 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री डी.वी. पाथी, अधिवक्ता
श्रीमती मंजू झा, अधिवक्ता
श्री चैतन्य कृष्ण, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : डॉ. के.एन. सिंह, ए.एस.जी

श्रीमती अर्चना सिन्हा उर्फ़ अर्चना शाही, अधिवक्ता
श्री ऋषि राज सिन्हा, अधिवक्ता

(2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 6041 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री डी.वी. पाथी, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : डॉ. के.एन. सिंह, ए.एस.जी
श्रीमती अर्चना सिन्हा उर्फ़ अर्चना शाही, अधिवक्ता
श्री ऋषि राज सिन्हा, अधिवक्ता

(2021 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 15459 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री चिरंजिवा रंजन, अधिवक्ता
श्री अमर कुमार सिंह, अधिवक्ता
श्री संजय सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : डॉ. के.एन. सिंह, ए.एस.जी
श्री कुमार प्रिया रंजन, अधिवक्ता
श्रीमती अर्चना सिन्हा उर्फ़ अर्चना शाही, अधिवक्ता
श्री ऋषि राज सिन्हा, अधिवक्ता

(2021 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 15554 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री चिरंजिवा रंजन, अधिवक्ता
श्री अमर कुमार सिंह, अधिवक्ता
श्री संजय सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : डॉ. के.एन. सिंह, ए.एस.जी
श्रीमती अर्चना सिन्हा उर्फ़ अर्चना शाही, अधिवक्ता
श्री ऋषि राज सिन्हा, अधिवक्ता
श्री श्याम बिहारी सिंह, अधिवक्ता

==

गणपूर्ति : माननीय मुख्य न्यायाधीश
और
माननीय न्यायमूर्ति श्री मधुरेश प्रसाद

मौखिक निर्णय

(प्रतिः माननीय मुख्य न्यायाधीश)

दिनांक : 12-05-2023

रिट याचिकाओं के समूह ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत जारी किए गए नोटिसों को चुनौती दी है और

उनमें से कुछ ने अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के तहत जारी आदेश और मूल्यांकन आदेशों के अनुसार जारी किए गए मांग के नोटिस को भी चुनौती दी है।

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिकाओं में उठाया गया विधि का प्रश्न यह है कि क्या अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (5क), जिसे वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा 01.04.2018 से सम्मिलित किया गया है, पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी। याचिकाकर्ता यह भी तर्क देते हैं कि यदि इसे भविष्यलक्षी माना जाता है, जैसा कि वित्त अधिनियम में प्रयुक्त स्पष्ट शब्दों का परिणाम है, तो यह व्यक्तियों के एक ही वर्ग के बीच भेदभाव के आधार पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। यह भी तर्क दिया जाता है कि उप-धारा (5क) को आयकर अधिनियम में लाया गया है ताकि धारा 2(47)(v), 45 और 48 के संयुक्त पठन पर पूंजीगत लाभ की गणना के लिए पहले के प्रावधान के अनपेक्षित परिणामों को दूर किया जाय। ऐसी परिस्थितियों में, वित्त अधिनियम में इसके भविष्यलक्षी होने के बावजूद, इसे पूर्वव्यापी माना जाना चाहिए। जहाँ तक पारित आदेशों का प्रश्न है, जिन्हें कुछ रिट याचिकाओं में भी चुनौती दी गई थी, चुनौती मूल्यांकन अधिकारी द्वारा प्रयोग किए गए अधिकार क्षेत्र को लेकर है; जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **आयकर आयुक्त बनाम बलबीर सिंह मैनी'; (2018) 12 एस.सी.सी. 354** के फैसले पर आधारित है।

3. हमने रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री डी.वी. पाथी और आयकर विभाग की वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता श्रीमती अर्चना सिन्हा के निर्देशन में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल डॉ. के.एन. सिंह को सुना है।

4. **बलबीर सिंह मैनी** (उरोक्त) के मामले में, कंडिका-3 में कानून के निम्नलिखित प्रश्न तैयार किए गए थे, जो नीचे उद्धृत हैं:

> "i) क्या विचाराधीन लेन-देन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(47)(v) के साथ पठित संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम,

1882 की धारा 53-क के संदर्भ में योग्य "हस्तांतरण" की परिकल्पना करते हैं?

(ii) क्या आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने जे.डी.ए. से उत्पन्न अधिकारों, जे.डी.ए. का पंजीकरण न करने के कानूनी प्रभाव, इसके कथित अस्वीकृति आदि की अनदेखी किया है?

iii) क्या धारा 2(47)(v) और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1982 की धारा 53-क द्वारा परिकल्पित "कब्जा" किया गया था, और यदि ऐसा है, तो इसकी प्रकृति और कानूनी प्रभाव क्या है?

(iv) क्या विकासकर्ताओं की ओर से कोई चूक हुई थी, और यदि ऐसा है, तो लेनदेन और कर की अनिवार्यता पर इसका प्रभाव क्या है?

v) क्या अभी तक प्राप्त होने वाली राशि पर प्राप्त होने वाली राशि से उत्पन्न होने वाली काल्पनिक धारणा पर कर लगाया जा सकता है?

5. माननीय उच्चतम न्यायालय ने कंडिका 30 और 31 में इस मामले से संबंधित पहलू का जवाब इस प्रकार दिया गया है:-

"30. वर्तमान मामले के तथ्यों में, यह स्पष्ट है कि ऐसे लेन-देन से पूंजीगत लाभ की आय, जो कभी फलीभूत नहीं हुई, सर्वोत्तम रूप से, एक काल्पनिक आय है। यह स्वीकार किया जाता है कि अनुमतियों के अभाव में, जेडीए में परिकल्पित संपूर्ण विकास का लेन-देन विफल हो गया। वास्तव में, उपर्युक्त कारण से कोई आय उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में, यह

स्पष्ट है कि पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण से कोई लाभ या हानि नहीं हुई है, जिसे आयकर अधिनियम की धारा 45 के साथ पठित धारा 48 के तहत कर के दायरे में लाया जा सकता है।

31. वर्तमान मामले में, निर्धारिती ने आय प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं किया था, क्योंकि ऐसा कथित अधिकार आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त होने पर निर्भर था। इस मामले में, इन परिस्थितियों में, विकासकर्ताओं द्वारा निर्धारिती पर कोई ऋण बकाया नहीं था और इसलिए, निर्धारिती ने जेडीए के तहत आय प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं किया है। ऐसा होने पर, आयकर अधिनियम की धारा 45 और 48 को आकर्षित करने के लिए पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से कोई लाभ या मुनाफ़ा "उत्पन्न" नहीं हुआ।

6. उपरोक्त निर्णय की बाध्यकारी घोषणा इस हद तक है कि, जब तक किसी लेन-देन से पूंजीगत लाभ की आय वास्तव में फलीभूत नहीं हो जाती, उस वर्ष में जिसमें हस्तांतरण हुआ, किसी भी मूल्यांकन का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा विचाराधीन मामले में नहीं हुआ, जिसमें संयुक्त विकास समझौता (जे.डी.ए.) में गिरावट आई और इस कारण से आय नहीं हुई। यह ध्यान देने योग्य है कि यह मुद्दा पूरी तरह से मामले के तथ्यों पर आधारित है, जिस पर विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक कार्यवाही में ध्यान देना हमारे लिए उचित नहीं हो सकता है। जहां तक नोटिसों के खिलाफ चुनौती का सवाल है, निर्धारिती तथ्यों को निर्धारण अधिकारी के समक्ष रख सकता है और यदि यह **बलबीर सिंह मैनी** (उपरोक्त) में तय किए गए मामले के समरूप या समान है, तो निर्धारण अधिकारी को भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत उक्त निर्णय का अनिवार्य रूप से

पालन करना होगा। जहां तक अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के तहत पारित आदेशों का संबंध है, एक अपील का प्रावधान है, जिसके लिए याचिकाकर्ताओं को राहत देनी होगी।

7. जो भी हो, हमें वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा धारा 45 के उप-धारा (5) के बाद उप-धारा (5क) और उसका स्पष्टीकरण को शामिल करने वाले संसोधन के बारे में दावा की गई पूर्वव्यापीता के संबंध में प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा गया है, जिसे विशेष रूप से 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होने के लिए जोड़ा गया था, जिससे संशोधन भविष्यलक्षी हो गया।

8. उठाई गई चुनौती के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं ने **गोदरेज एंड बॉयस एमएफजी कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर उपायुक्त; (2010) 43 डीटीआर 177 (बॉम्बे)** में बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया है, जिसके सिद्धांत को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **एलाइड मोटर्स (पी) लिमिटेड आदि बनाम आयकर आयुक्त; (1997) 224 आईटीआर 0677** में पुष्टि की थी। **आयकर आयुक्त बनाम मैसर्स एलोम एक्सट्रूशंस लिमिटेड; 2009 319 आईटीआर 306 (एससी) और आयकर आयुक्त बनाम एस्सार टेलीहोल्डिंग्स लिमिटेड; (2018) 401 आईटीआर 445 (एससी)** पर भी भरोसा किया।

9. **गोदरेज एंड बॉयस एमएफजी कंपनी लिमिटेड** (उपरोक्त) में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अधिनियम और नियमों में क्रमशः लाई गई धारा 14क और नियम 8ख दोनों को बरकरार रखा, लेकिन नियम को केवल भविष्यलक्षी रूप से लागू करने का निर्णय दिया, जबकि धारा 14क को 1 अप्रैल, 1962 से पूर्वप्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 2001 में संशोधन द्वारा पेश किया गया था और उप-धाराएं (2) और (3) 01.04.2007 से प्रभावी थीं। नियम 8घ, जो कुल आय का हिस्सा नहीं बनने वाली आय के संबंध में किए गए व्यय को निर्धारित करने के लिए एक तंत्र प्रावधान था, को आधिकारिक राजपत्र में केवल 24 मार्च, 2008 से अधिसूचित किया गया था। धारा 14क की शुरुआत इस कारण से हुई थी कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि निर्धारण अधिकारी इस बात की जांच नहीं कर सकता

है कि क्या किसी व्यय से कर योग्य आय उत्पन्न हुई या होगी और इस प्रकार व्यय को अस्वीकृत नहीं कर सकता है। एक सत्यापन खंड के साथ लाई गई धारा 14क ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आधार को हटा दिया और यह निर्धारित किया कि कुल आय की गणना में, किसी निर्धारिती द्वारा उस आय के संबंध में किए गए व्यय के संबंध में कोई कटौती नहीं दी जाएगी जो अधिनियम के तहत कुल आय का हिस्सा नहीं है। धारा 14क की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि तंत्र के प्रावधान केवल उस तारीख से लागू होंगे जब इसे नियमों में लाया गया था। हालाँकि, यह पाया गया कि नियम 8घ लाए जाने से पहले ही, निर्धारण अधिकारी धारा 14क की उप-धारा (1) के प्रावधान को लागू करने के लिए बाध्य था; जिसे निर्धारिती को एक उचित अवसर प्रदान करने के बाद, सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों के अनुरूप एक विधि के माध्यम से उचित आधार पर किया जाना चाहिए; हालांकि जरूरी नहीं कि नियम 8घ के तहत लाए गए तंत्र प्रावधान के माध्यम से किया जाए।

10. विद्वान अधिवक्ता ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के **गोदरेज एंड बॉयस एम.एफ.जी. कं. लिमिटेड (**उपरोक्त**)** फैसले के कंडिका-65 पर विशेष जोर दिया है, जिसे नीचे दिया गया हैः-

> “65 निम्नलिखित सिद्धांत यह निर्धारित करने में मार्गदर्शन करते हैं कि कोई संशोधन भविष्यलक्षी है या पूर्वव्यापीः
>
> (i) यह निर्धारित करने में कि क्या कोई संशोधन भविष्यलक्षी या पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा, वह तारीख जिससे संशोधन को प्रभावी किया जाता है, प्रश्न का निर्णायक रूप से उत्तर नहीं देती है। न्यायालय को यह निर्धारित करने के लिए संशोधन से पहले और संशोधन के बाद की क़ानून की योजना की जांच करनी होगी कि क्या कोई संशोधन स्पष्टीकारक है या सारभूत

है।

(ii) एक संशोधन जो स्पष्टीकरणात्मक है, उसे पूर्वव्यापी प्रकृति का माना जाता है और यह मूल वैधानिक प्रावधान से पहले का होगा जिसे वह संशोधित करना चाहता है। एक स्पष्टीकरणात्मक संशोधन इरादे की एक अभिव्यक्ति है जिसे विधायिका ने हमेशा लागु करने का इरादा किया है। कुछ मामलों में एक स्पष्टीकरणात्मक संशोधन पेश किया जा सकता है ताकि किसी वैधानिक प्रावधान के सही प्रभाव पर तय किए गए मामलों में व्यक्त किए गए अलग-अलग विचारों को समाप्त किया जा सके, जिसमें विधायिका अपने इरादे को स्पष्ट करती है, इसे कानून का घोषणात्मक माना जाता है जैसा कि यह हमेशा रहा है और इसलिए इसे पूर्वव्यापी माना जाता है;

(iii) जहां दूसरी ओर, एक संशोधन कानूनी अधिकारों और दायित्वों में एक ठोस परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, वहां न्यायालय उस संशोधन की व्याख्या को आसानी से स्वीकार नहीं करेगा जो इसे चरित्र में पूर्वव्यापी बना देगा। न्यायालय को ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए स्पष्ट शब्दों की आवश्यकता होगी।

(iv) जहां संशोधन उपचारात्मक है या जहां इसका उद्देश्य अनपेक्षित परिणामों को दूर करना है या किसी वैधानिक प्रावधान को व्यवहार्य बनाना है, वहां संशोधन को उस प्रावधान से संबंधित माना जा सकता है जिसके संबंध में यह उपचारात्मक प्रभाव प्रदान करता है;

(v) जहां एक संशोधन अनिवार्य रूप से साक्ष्य का एक नियम प्रदान करता है जैसे कि मूल्यांकन में एकरूपता प्राप्त करने और समान प्रकृति और चरित्र की संपत्तियों के संबंध में विभिन्न तरीकों के आवेदन से उत्पन्न होने वाले असमान मूल्यांकन से बचने के उद्देश्य से मूल्यांकन के लिए ज्ञात और सुस्थापित तरीकों में से एक को अपनाकर संपत्ति के मूल्यांकन की एक विधि, वहां न्यायालय वैधानिक प्रावधान पर एक ऐसी व्याख्या देगा, जो पूर्वव्यापी प्रभाव देगा।"

11. **एलाइड मोटर्स (पी) लिमिटेड आदि.** (उपरोक्त) एक ऐसा मामला था जिसमें वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा डाली गई धारा 43ख का परंतुक, 01.04.1987 से प्रभावी होने के बावजूद, पूर्वव्यापी माना गया था। धारा 43ख लाने का इरादा और इसे पूर्वव्यापी मानने का कारण उपरोक्त निर्णय के कंडिका-5 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संक्षिप्त घोषणा में पाया जाता है, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है:-

"इसलिए, धारा 43ख का उद्देश्य स्पष्ट रूप से उन करदाताओं की गतिविधियों पर अंकुश लगाना था जो लंबे समय तक उत्पाद शुल्क, भविष्य निधि में नियोक्ता के योगदान आदि के भुगतान की अपनी वैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं करते थे, लेकिन इस आधार पर अपनी आय से कटौती का दावा करते थे कि इन राशियों का भुगतान करने का दायित्व उन्होंने संबंधित पिछले वर्ष में वहन किया था। इस शरारत को रोकने के लिए धारा 43ख डाली गई थी। यह स्पष्ट रूप से महसूस नहीं किया गया था कि जिस भाषा में धारा 43ख को तैयार किया गया था, वह उन करदाताओं के लिए कठिनाई पैदा करेगी जिन्होंने

इस भुगतान के लिए निर्धारित वैधानिक अवधि के भीतर बिक्री कर का भुगतान किया था, हालांकि उनके द्वारा भुगतान की गई राशि संबंधित पिछले वर्ष में नहीं आती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि एकत्र किया गया बिक्री कर संबंधित लेखा वर्ष की अंतिम तिमाही से संबंधित था। इसका भुगतान केवल अगली तिमाही में किया जा सकता था जो अगले लेखा वर्ष में आती थी। इसलिए, तब भी जब बिक्री कर वास्तव में निर्धारिती द्वारा इसके भुगतान के लिए निर्धारित वैधानिक अवधि के भीतर और आयकर विवरणी दाखिल करने से पहले भुगतान किया गया था, इन निर्धारितियों को अनजाने में उनके द्वारा भुगतान किए गए कर के संबंध में एक वैध कटौती का दावा करने से रोक दिया गया था। धारा 43ख का यह इरादा नहीं था। इसलिए, धारा 43ख में पहला परंतुक डाला गया था। वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा धारा 43ख में, अन्य बातों के साथ-साथ, पहला परंतुक डालकर किया गया संशोधन, उपचारात्मक प्रकृति का था, जिसका उद्देश्य अनपेक्षित परिणामों को समाप्त करना था, जिससे निर्धारिती को अनुचित कठिनाई हो सकती थी और जिसने विशिष्ट स्थिति में प्रावधान को अव्यावहारिक या अन्यायपूर्ण बना दिया था। वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा किए गए संशोधन की उपचारात्मक प्रकृति को देखते हुए, हमारे समक्ष यह प्रस्तुत किया गया था कि संशोधनकारी वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा डाला गया परंतुक पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाना चाहिए और इसे धारा 43ख के प्रारंभ से उसका हिस्सा

माना जाना चाहिए। इस निवेदन को कई उच्च न्यायालयों के निर्णयों से समर्थन मिला था जिनके समक्ष यह प्रश्न विचार के लिए आया था। ऐसा प्रतीत होता है कि कलकत्ता, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, गुवाहाटी, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पटना और केरल के उच्च न्यायालयों ने यह विचार रखा है कि परंतुक को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाना चाहिए। इनमें से कुछ उच्च न्यायालयों ने माना है कि धारा 43ख (क) के तहत देय राशि केवल उसी लेखा वर्ष में देय राशि को संदर्भित करती है, इस प्रकार अगले लेखा वर्ष में देय बिक्री कर को धारा 43ख (क) के दायरे से बाहर रखा गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसके विपरीत विचार अपनाया है कि धारा 43ख का पहला परंतुक केवल भविष्यलक्षी रूप से संचालित होता है। हम इनमें से कुछ निर्णयों का ही उल्लेख करेंगे।"

12. उपरोक्त घोषणाओं का उद्देश्य यह है कि इस प्रश्न की जांच करते हुए कि क्या कोई संशोधन भविष्यलक्षी है या पूर्वव्यापी है, न्यायालय को यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या यह स्पष्टीकरणात्मक है या सारभूत है। यदि यह स्पष्टीकरणात्मक है, तो यह इरादे की एक अभिव्यक्ति है जिसे विधायिका हमेशा से अजपनाना चाहती थी और यदि कानूनी अधिकारों और दायित्वों में पर्याप्त परिवर्तन होता है, तो यह उपचारात्मक नहीं होगा और इसलिए पूर्वव्यापी नहीं होगा।

13. हमें इस विशिष्ट प्रश्न पर विचार करना है कि क्या धारा 45(5) के तहत उप-धारा (5क) को लाकर, विधायिका एक अनपेक्षित परिणाम को समाप्त करने की कोशिश कर रही थी, जिससे निर्धारिती को कठिनाई हो रही थी, जिसे दूर करने का प्रयास किया गया था; इस प्रकार इसे उपचारात्मक और इसलिए पूर्वव्यापी बनाया गया? संशोधन से पहले,

विभाग के अनुसार, धारा 2(47)(v) के अनुसार, किसी अनुबंध के आंशिक निष्पादन में अचल संपत्ति के कब्जे के हस्तांतरण से संबंधित कोई भी लेन-देन पूंजीगत संपत्ति का हस्तांतरण है और पिछले वर्ष में किए गए ऐसे हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाला कोई भी लाभ या अधिलाभ 'पूंजीगत लाभ' शीर्षक के तहत आयकर के लिए प्रभार्य है, जिसे पिछले वर्ष की आय माना जाता है, जिसकी गणना धारा 48 के तहत की जानी है।

14. हम यहाँधारा 45 की उप-धारा (5क) को उद्धृत किया गया है :

> (5क) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी निर्धारिती को, जो कोई व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार है, किसी निर्दिष्ट समझौते के तहत किसी पूंजी संपत्ति, जो भूमि या भवन या दोनों है, के हस्तांतरण से पूंजीगत लाभ होता है, पूंजीगत लाभ उस पूर्व वर्ष की आय के रूप में आयकर से प्रभार्य होगा जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूरी परियोजना या परियोजना के हिस्से के लिए पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है; और धारा 48 के प्रयोजनों के लिए, उक्त प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख को, उसके हिस्से का स्टाम्प शुल्क मूल्य, जो भूमि या भवन या दोनों में है, आयकर से प्रभार्य होगा, नकद में प्राप्त प्रतिफल, यदि कोई हो, से बढ़ी हुई परियोजना को पूंजी परिसंपत्ति के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उपार्जित प्रतिफल का पूरा मूल्य माना जाएगाः
>
> बशर्ते कि इस उप-धारा के प्रावधान लागू नहीं होंगे जहां निर्धारिती परियोजना में अपने हिस्से को पूरा होने का उक्त प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख को या उससे पहले हस्तांतरित करता है, और पूंजीगत लाभ को उस पूर्व वर्ष की

आय माना जाएगा जिसमें ऐसा हस्तांतरण होता है और इस अधिनियम के प्रावधान, इस उप-धारा के प्रावधानों के अलावा, ऐसे हस्तांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उपार्जित प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से लागू होंगे।

स्पष्टीकरण- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति -

(i) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ है उस समय लागू किसी कानून द्वारा या उसके तहत भवन योजना को मंजूरी देने के लिए सशक्त प्राधिकारी;

(ii) "विनिर्दिष्ट समझौता" से तात्पर्य एक पंजीकृत समझौते से है जिसमें भूमि या भवन या दोनों का स्वामी व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी भूमि या भवन या दोनों पर एक अचल संपत्ति परियोजना विकसित करने की अनुमति देने के लिए सहमत होता है, ऐसे परियोजना में भूमि या भवन या दोनों के रूप में एक हिस्से के प्रतिफल में, चाहे प्रतिफल का एक हिस्सा नकद में भुगतान किया गया हो या नहीं;

(iii) "स्टाम्प शुल्क मूल्य" से भूमि या भवन या दोनों अचल संपत्ति के संबंध में स्टाम्प शुल्क के भुगतान के उद्देश्य से सरकार के किसी भी प्राधिकरण द्वारा अपनाया गया या मूल्यांकन किया गया या मूल्यांकन किया गया मूल्य अभिप्रेत है।.

15. याचिकाकर्ताओं का तर्क अनिवार्य रूप से यह है कि आयकर अधिनियम की धारा 2 (47) (v) के साथ पठित धारा 45 (1) पिछले वर्ष में निर्धारिती की कुल आय में पूंजीगत लाभ को शामिल करने में सक्षम बनाती है, जिसमें संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की

धारा 53क के तहत परिकल्पित अचल संपत्ति का कब्जा मालिकों द्वारा विकासकर्ताओं को सौंप दिया गया है। फिर, जे.डी.ए. से उपार्जित ऐसी आय को उस संपत्ति के मालिक की आय माना जाता है जो पिछले वर्ष में उपार्जित हुई थी जिसमें हस्तांतरण किया गया था।

16. **बलबीर सिंह मैनी** (उपरोक्त) मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 2001 के संशोधन अधिनियम द्वारा पंजीकरण अधिनियम, 1908 में संशोधन के कारण, पंजीकरण अधिनियम के अनुसार पंजीकृत नहीं होने वाले किसी भी जे.डी.ए. का संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 53क के प्रयोजनों के लिए कानून में कोई प्रभाव नहीं होगा। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 2(47)(v) का उद्देश्य किसी भी अचल संपत्ति के वास्तविक हस्तांतरण को कर योग्य सीमा के भीतर लाना था, भले ही अधिकार, कानून में हस्तांतरित न किया गया हो; लेकिन वास्तव में, अधिकार का पर्याप्त रूप से हस्तांतरण होना चाहिए। **इ.डी. सास्सों और को. लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त; (1955) 1 एस.सी.आर. 313** पर भरोसा करते हुए, यह माना गया कि आय एक निर्धारिती को केवल उसके वास्तविक प्राप्त होने पर या जब निर्धारिती को आय प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है, तब ही उपार्जित होगी, भले ही वास्तविक प्राप्ति बाद में हो। जब तक आय प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता या वह आय निर्धारिती को उपार्जित नहीं हो जाती, उसे कुल आय में शामिल नहीं किया जा सकता। इसलिए, जब जे.डी.ए. प्रभावी नहीं हुआ था, तो निर्धारिती की कुल आय में धारा 48 के तहत परिकल्पित संपूर्ण प्रतिफल को शामिल नहीं किया जा सकता, यह बाध्यकारी घोषणा थी।

17. वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा, धारा 45 की उप-धारा (5) के तहत उप-धारा (5क) और उसका स्पष्टीकरण डाला गया था। उप-धारा (5क) के अनुसार, एक निर्धारिती, जो एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार है, को किसी विनिर्दिष्ट समझौते के तहत पूंजीगत परिसंपत्ति, जो भूमि या भवन या दोनों है, के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाला पूंजीगत लाभ उस पिछले वर्ष की आय के रूप में आयकर के लिए प्रभार्य होगा जिसमें सक्षम

प्राधिकारी द्वारा परियोजना के पूर्ण या आंशिक हिस्से के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। रिट याचिकाओं के समूह में याचिकाकर्ताओं द्वारा आरोप लगाया गया भेदभाव यह है कि, जे.डी.ए. में प्रवेश करने वाले निर्धारितियों के साथ केवल उनकी कानूनी स्थिति के कारण भेदभाव किया जाता है; अर्थात व्यक्तियों और संयुक्त हिंदू परिवारों को एक लाभ दिया जाता है जिसे कंपनियों जैसे दूसरों को अस्वीकार कर दिया जाता है। संशोधन की तिथि समान रूप से स्थित निर्धारितियों के बीच भेदभाव करने के लिए एक सुबोध भिन्नता प्रदान नहीं करती है, जिन्होंने संशोधन से पहले और बाद में जे.डी.ए. में प्रवेश किया है, इस प्रकार समान रूप से स्थित व्यक्तियों के बीच दो वर्ग बनाए जाते हैं, ऐसा तर्क प्रतीत होता है।

18. यह तर्क कि कुल आय की गणना में, किसी कंपनी और किसी व्यक्ति के बीच अंतर नहीं हो सकता है, शुरू में ही खारिज कर दिया जाना चाहिए। यह दावा केवल तब तक है जब तक कि संशोधन पूर्वव्यापी है और यह तर्क नहीं है कि संशोधन, जे.डी.ए. में प्रवेश करने वाली प्रत्येक इकाई पर लागू किया जाना चाहिए और किसी व्यक्ति या संयुक्त हिंदू परिवार तक सीमित नहीं होना चाहिए। यह तर्क दिया जाता है कि संशोधन को उन अनपेक्षित परिणामों को कम करने के लिए लाया गया था, जिसमें एक निर्धारिती को संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 53क के तहत किए गए हस्तांतरण के कारण ही, अपनी कुल आय में उपार्जन के आधार पर पूंजीगत लाभ की गणना करने के लिए बाध्य किया गया था।

19. हम उक्त तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, खासकर जब से धारा 45 में उप-धारा के समावेश द्वारा संशोधन को स्पष्ट रूप से 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी बताया गया था। संशोधन से पहले और बाद में जे.डी.ए. में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के बीच किसी भी प्रकार के भेदभाव का कोई प्रश्न नहीं है, जहां तक 01.04.2018 से पहले एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा किए गए जे.डी.ए. का संबंध है, जो उस समय के प्रचलित कानून द्वारा शासित था, अर्थात धारा 2(47)(v) को धारा 45 और 48 के साथ मिलाकर पढ़ने पर।

समान व्यक्तियों के बीच कोई भेदभाव नहीं है क्योंकि जे.डी.ए. में प्रवेश करने की तिथि के आधार पर भिन्नता की गई है, जो अधिनियम में एक स्पष्ट रूप से विशिष्ट तिथि अर्थात 01.04.2018 से भविष्यलक्षी होने के रूप में लाए गए संशोधन का एक स्वाभाविक परिणाम है। इसके अलावा, यद्यपि आयकर अधिनियम के तहत निर्धारितियों के विभिन्न वर्ग हैं, उन्हें केवल उस अधिनियम के तहत मूल्यांकन किए जाने के कारण समान नहीं माना जा सकता है।

20. ***गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड*** (उपर्युक्त) के कंडिका 65 का हम उल्लेख करते हैं, जहां पूर्वव्यापीता के सिद्धांतों को संक्षेप में बताया गया था; जिसे हमने ऊपर भी उद्धृत किया है। हालांकि वह तारीख जिससे संशोधन को प्रभावी किया जाता है, निर्णायक रूप से प्रश्न का निर्धारण नहीं करती है, पूर्वव्यापीता के मुद्दे पर संशोधन से पहले और बाद के कानून की योजना की जांच करके विचार करना होगा, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या संशोधन स्पष्टीकारक है या सारभूत है। इस तथ्य के अलावा कि संशोधन को स्पष्ट रूप से केवल 01.04.2018 से प्रभावी बताया गया है, हस्तांतरण द्वारा प्रतिफल को पूंजीगत लाभ के रूप में उस पिछले वर्ष में शामिल करने का लाभ जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना के पूर्ण या आंशिक हिस्से के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों तक ही सीमित था। यह बहुत स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि लाभ केवल निर्धारितियों के दो वर्गों को प्रदान करने का इरादा था और यह तथ्य विशेष रूप से संशोधन के स्पष्टीकारक होने के तर्क के विपरीत काम करता है। संशोधन को अनपेक्षित परिणामों को दूर करने या किसी वैधानिक प्रावधान को कार्यशील बनाने का इरादा भी नहीं कहा जा सकता है। इसे उपचारात्मक प्रभाव प्रदान करने वाले संशोधन के रूप में मूल प्रावधानों के अधिनियमन की तारीख से संबंधित नहीं किया जा सकता है।

21. धारा 45 और 48 के साथ पठित धारा 2(47)(v) उन सभी निर्धारितियों

पर लागू होती है, जिन्होंने संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 53क की परिभाषा के भीतर आने वाली पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण किया है, सिवाय उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों के, जिन्होंने जे.डी.ए. के आधार पर 01.04.2018 के बाद पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण किया है।

22. विधायिका की पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधन करने की शक्ति निर्विवाद है, लेकिन आवश्यकता यह है कि जब तक इसे स्पष्ट भाषा में व्यक्त नहीं किया जाता या बिना किसी संदेह के, तब तक संशोधन केवल भविष्यलक्षी होगा। एक संशोधन को निहित रूप से पूर्वव्यापी तभी माना जा सकता है जब इसका उद्देश्य एक स्पष्ट विसंगति को दूर करना या एक बड़ी त्रुटि को सुधारना या एक बेतुकी बात को मिटाना या इसे किसी अन्य कानून या संविधान के अनुरूप लाना हो। वास्तव में, ऐसे मामलों में विधायिका एक प्रतिस्थापन के माध्यम से संशोधन लाती है और भले ही एक प्रावधान को प्रतिस्थापित किया जाता है, यह पूर्वव्यापी तभी होगा जब इसे ऐसा व्यक्त किया गया हो या आवश्यक इरादे से इसका अनुसरण किया गया हो, जैसा कि निहित भाषा से निहित है। वर्तमान मामले में, 01.04.2018 से प्रभावी किए गए संशोधन को स्पष्ट रूप से उस तारीख से भविष्यलक्षी कहा गया है और कोई इरादा नहीं किया जा सकता है क्योंकि उपरोक्त उल्लिखित कमियां पूरी तरह से अनुपस्थित हैं। हम व्यक्तियों या हिंदू अविभाजित परिवारों पर कोई भेदभाव नहीं पाते हैं, जिनके लिए गणना के तरीके में या पिछले वर्ष में कुल आय की गणना में बदलाव किया गया था, जो केवल 01.04.2018 के बाद किए गए समझौतों के संबंध में प्रभावी था।

23. जहाँ तक अनपेक्षित परिणामों की बात है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ***ज़िले सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य*** के मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख करना उपयोगी होगा, जो ***(2004) 8 एस.सी.सी. 1*** में प्रतिवेदित किया गया है, जिसमें अयोग्यता के अपवाद प्रदान करने वाले एक संशोधन की व्याख्या पर विचार किया गया था। 5 अप्रैल, 1994 को हरियाणा में नगरपालिका अधिनियम में एक संशोधन किया गया था, जिसमें दो से

अधिक बच्चे रखने वाले किसी भी व्यक्ति को नगर पालिका के सदस्य के रूप में चुने जाने या बने रहने के लिए अयोग्य घोषित किया गया था। उन लोगों के लिए एक अपवाद प्रदान किया गया था जिनके पास अधिनियम के प्रारंभ होने के एक वर्ष की समाप्ति पर या उसके बाद दो से अधिक जीवित बच्चे थे। इसके परिणामस्वरूप विसंगत परिणाम निकले, क्योंकि अधिनियम के प्रारंभ पर जिस व्यक्ति का तीसरा बच्चा होगा, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन उक्त अयोग्यता को पूरे वर्ष की समाप्ति पर हटा दिया जाएगा। 'बाद' को 'तक' में बदलते हुए एक प्रतिस्थापन किया गया था। ज़िले सिंह, जिनका अगस्त में चौथा बच्चा हुआ था, जब अयोग्य ठहराए जाने की मांग की गई थी, ने दावा किया कि प्रतिस्थापन पूर्वव्यापी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि प्रतिस्थापन विसंगति को दूर करने के लिए था और आवश्यक निहितार्थ से, इसका उस तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव था जिस पर अयोग्यता को कानून पुस्तक में लाया गया था। ऐसा कंडिका 22 में कहा गया था :-

> "22. हरियाणा राज्य विधानमंडल ने 5-4-1995 से अयोग्यता लागू करने का इरादा किया था और ऐसा किया गया। उस दिन से और उस दिन के बाद से दो से अधिक जीवित बच्चे वाले किसी भी व्यक्ति को नगर पालिका का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। हालांकि, नए शुरू किए गए अयोग्यता के संचालन से एक तथ्य की स्थिति को बाहर निकालने वाले एक अपवाद के माध्यम से एक परंतुक को अधिनियमित करते समय, प्रारूपकार की गलती ने समस्या पैदा कर दी। परंतुक के पाठ की एक सरलीकृत व्याख्या ने एक ऐसा परिणाम बताया जिसका विधायिका ने कभी इरादा नहीं किया था और न ही कर सकती थी। यह सच है कि दूसरा संशोधन स्पष्ट रूप से संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव प्रदान नहीं करता है।

कानून को स्पष्ट रूप से पूर्वव्यापी प्रभाव प्रदान करने वाले प्रावधान का अभाव इसकी भविष्यलक्षी या पूर्वव्यापीता का निर्धारण नहीं करती है। यह दिखाने के लिए आंतरिक साक्ष्य उपलब्ध हो सकते हैं कि संशोधन का आवश्यक रूप से पूर्वव्यापी प्रभाव करने का इरादा था और यदि न्यायालय बिना किसी हिचकिचाहट के पूर्वव्यापीता के पक्ष में निष्कर्ष निकाल सकता है, तो न्यायालय कानून में निहित किसी भी जनादेश या क़ानून की व्याख्या के एक स्थापित सिद्धांत द्वारा ऐसा करने से रोके जाने तक अधिनियम को वह संचालन देने में संकोच नहीं करेगा।"

24. हमने ***श्याम सुंदर और अन्य बनाम राम कुमार और अन्य, जो (2001) 8 एस.सी.सी. 24*** में प्रतिवेदित किया गया है, से भी समर्थन प्राप्त किया है। इसमें यह कहा गया था कि '... किसी क़ानून के पूर्वव्यापी संचालन के खिलाफ एक धारणा होती है और आगे किसी क़ानून को अपनी भाषा की आवश्यकता से अधिक पूर्वव्यापी संचालन के लिए नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन एक संशोधन अधिनियम जो प्रक्रिया को प्रभावित करता है, उसे पूर्वव्यापी माना जाता है, जब तक कि संशोधन अधिनियम अन्यथा प्रदान न करे' (इसी प्रकार से)। उपरोक्त मिसालों के आधार पर, हमारी राय है कि वित्त अधिनियम, 2017 में संशोधन के माध्यम से डाली गई उप-धारा (5क), जिसे स्पष्ट रूप से 01.04.2018 से प्रभावी बताया गया है, उसे पूर्वव्यापी नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें स्पष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है और इसमें कोई निहित पूर्वव्यापी प्रभाव का इरादा नहीं निकाला जा सकता है। धारा 45 के अनुसार, एक व्यक्ति के लिए जो धारा 2(47)(v) के तहत एक पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण करता है, जहां तक कि पिछले वर्ष में अर्जित पूंजीगत लाभ को शामिल करके कुल

आय की गणना करने की आवश्यकता है, जिसमें एक हस्तांतरण प्रभावित हुआ था, जब 01.04.2018 से पहले जे.डी.ए. दर्ज किया गया था, यह एक अनपेक्षित परिणाम नहीं था। इसमें एक व्यक्ति और एक हिंदू अविभाजित परिवार के संबंध में पर्याप्त बदलाव किया गया था, जिससे पूंजीगत लाभों को केवल उस पिछले वर्ष की कुल आय में शामिल करने की देयता, जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया था, एक ठोस बदलाव था जो भविष्यलक्षी रूप से लाया गया था। हमें इसकी पूर्वव्यापीता के संबंध में उठाई गई दलील को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं मिलता है और हम भेदभाव के तर्क और कठिनाई को कम करने और अनपेक्षित परिणामों को हटाने के लिए संशोधन के उद्देश्य को अस्वीकार करते हैं। 01.04.2018 से पहले धारा 45 की उप-धारा (5क) के अभाव में प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले परिणाम को बाद के संशोधन द्वारा मिटाया नहीं जा सकता है, जिसे स्पष्ट रूप से भविष्यलक्षी बताया गया था। हम रिट याचिकाओं को खारिज करते हैं, यह स्पष्ट करते हुए कि हमने केवल पूर्वव्यापीता के प्रश्न का उत्तर दिया है जो हमारे सामने उठाया गया था। हमने याचिकाकर्ताओं के तथ्यों और विभिन्न दलीलों पर विचार नहीं किया है, जैसे कि जे.डी.ए. का साकार न होना, कोई प्रतिफल पारित न होना, जे.डी.ए. का खुद ही अव्यवहारिक हो जाना और यहां तक कि कुछ याचिकाकर्ताओं, कंपनियों और इसी तरह की कानूनी संस्थाएं भी निष्क्रिय हो गई हैं। इन दलीलों पर **बलबीर सिंह मैनी** (उपरोक्त) में प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर विचार किया जाएगा। अपीलकर्ताओं को उनके वैधानिक उपचारों के लिए छोड़ दिया जाता है और चूंकि, उपरोक्त रिट याचिकाएं लंबे समय से इस न्यायालय में लंबित थीं, हम उन्हें नोटिस के मामले में, मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष आपत्तियां दर्ज करने के लिए दो महीने का समय देते हैं। जहां तक मूल्यांकन आदेशों का संबंध है, हम उन निर्धारितियों को, जो यहां याचिकाकर्ता हैं, इस निर्णय की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की और अवधि प्रदान करते हैं, जिसके भीतर पहली अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष एक वैधानिक अपील दायर की जा सकती है। व्यक्तिगत तथ्यों

पर सभी दलीलों पर मूल्यांकन अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा, जो मूल्यांकन के चरण पर निर्भर करेगा।

25. रिट याचिकाओं को उपरोक्त टिप्पणियों के साथ खारिज किया जाता है।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

(मधुरेश प्रसाद, न्यायमूर्ति)

सुजीत/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।